

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक : सामान्य/6/2011/केन्टीन/64357-97 दिनांक : 31.03.2014

परिपत्र

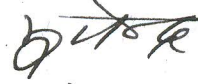
इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 5844-57 दिनांक 08.05.2013 द्वारा राज्य की केन्द्रीय कारागृहों में केन्टीन व्यवस्था प्रारम्भ कर दैनिक उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध करवाये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी ।

कारागृहों पर उक्त सुविधा का विस्तार करते हुये राज्य की समस्त जिला कारागृहों एवं महिला बंदी सुधारगृहों में भी दिनांक 01.04.2014 से केन्टीन व्यवस्था को लागू करने की एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।


(भूपेन्द्र कुमार दक),
अति. महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि :-

1. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
2. उप महानिरीक्षक कारागार, रेन्ज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
3. विशेषधिकारी (जेल), गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह राजस्थान
5. उपाधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर


अति. महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर ।

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:- सामान्य/6/2011/केन्टीन/ 64402-42 दिनांक 31.03.2014

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक
केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान

विषय:- कारागृहों पर केन्टीन सुविधाओं का विस्तार

महोदय,

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक सामान्य/बेदी फोन सुविधा/7/2010/5844-57 दिनांक 08.05.2013 द्वारा कारागृहों में केन्टीन व्यवस्था प्रारम्भ कर विभिन्न वस्तुओं यथा-साबुन, अण्डरगार्मेन्ट, तेल, टूथपेस्ट, नमकीन, बिस्कुट, सूखी डबल रोटी, स्टेशनरी, प्याज, गुड़ इत्यादि उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई थी। इन आइटमों की विस्तृत सूची मय मूल्य भी जारी की गई थी।

जेलों के भ्रमण एवं वहाँ के बंदियों एवं अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर केन्टीन में संलग्न सूची अनुसार आइटम भी उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त सामग्री स्टैंडर्ड कम्पनी की एवं विभिन्न मानकों की दृष्टि से उपयुक्त होनी चाहिये। संलग्न सूची में अंकित आइटम्स स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न हो अथवा अन्य कम्पनी के उत्पाद की माँग हो तो अपने स्तर पर चयन कर संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार से अनुमोदित करावें। केन्टीन पर उपलब्ध कोई भी सामग्री/आइटम का मूल्य किसी भी स्थिति में बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(भूपेन्द्र कुमार दक)

अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
- 2-उप महानिरीक्षक कारागार, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
- 3-विशेषाधिकारी, गृह(जेल)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4-उप अधीक्षक, महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर/जोधपुर



अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:-सामान्य/6/2011/केन्टीन/ 64402-42 दिनांक 31.03.2014

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक
केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान

विषय:- कारागृहों पर केन्टीन सुविधाओं का विस्तार

महोदय,

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक सामान्य/बेदी फोन सुविधा/7/2010/5844-57 दिनांक 08.05.2013 द्वारा कारागृहों में केन्टीन व्यवस्था प्रारम्भ कर विभिन्न वस्तुओं यथा-साबुन, अण्डरगार्मेन्ट, तेल, टूथपेस्ट, नमकीन, बिस्कुट, सूखी डबल रोटी, स्टेशनरी, प्याज, गुड़ इत्यादि उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई थी। इन आइटमों की विस्तृत सूची मय मूल्य भी जारी की गई थी।

जेलों के भ्रमण एवं वहाँ के बंदियों एवं अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर केन्टीन में संलग्न सूची अनुसार आइटम भी उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त सामग्री स्टैण्डर्ड कम्पनी की एवं विभिन्न मानकों की दृष्टि से उपयुक्त होनी चाहिये। संलग्न सूची में अंकित आइटम्स स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न हो अथवा अन्य कम्पनी के उत्पाद की माँग हो तो अपने स्तर पर चयन कर संबंधित उप महानिरीक्षक कारागार से अनुमोदित करावें। केन्टीन पर उपलब्ध कोई भी सामग्री/आइटम का मूल्य किसी भी स्थिति में बाजार मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये।

भवदीय,

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
- 2-उप महानिरीक्षक कारागार, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
- 3-विशेषाधिकारी, गृह(जेल)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 4-उप अधीक्षक, महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर/जोधपुर

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

बंदी केन्टीन के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त आइटम्स

क्र.सं.	नाम आइटम	पैकेट में मात्रा	कम्पनी का नाम	MRP दर	देय कीमत
1.	ब्रैड	200 ग्राम	स्थानीय स्टेन्डर्ड कम्पनी	12.00	11.50
2.	बटर क्यूब	10 ग्राम	अमूल	04.00	04.00
3.	कार्नाफलेक्स	500 ग्राम	मोहन्स	89.00	87.00
4.	बोर्नवीटा	200 ग्राम	केडवरी	94.00	94.00
5.	गेहूँ के पफ	200 ग्राम	बीकाजी	50.00	50.00
6.	ग्लूकोन डी ओरेंज	200 ग्राम	हैन्स	50.00	49.00
7.	ग्लूकोन डी प्लेन	200 ग्राम	हैन्स	36.00	35.00
8.	फ्रूट जूस (गुआवा / ओरेंज / लिची / एप्पल)	200 ग्राम	डाबर	20.00	19.00
9.	शरबत (गुलाब / खसखस / चंदन / नीबू)	700 एम.एल.	मनूमल	95.00	93.00
10.	शरबत (गुलाब / खसखस / चंदन / नीबू)	700 एम.एल.	सुनील जी	80.00	78.00
11.	मिक्स जैम	1 किलोग्राम	फनटोप	130.00	127.00
12.	देसी घी	500 एम.एल.	ब्रिटेनिया	200.00	200.00
13.	फल- सेव / अनार / संतरा / मौसमी	नोट - 1			
14.	दूध (गर्म कराने पर 10 पैसा अतिरिक्त)	500 एम.एल.	सरस	17.00	17.00
15.	छाछ	500 एम.एल.	सरस	10.00	10.00
16.	दही	200 ग्राम	सरस	12.00	12.00
17.	चाय रेडिमेड (डिस्पोजेबल कप में)	प्रति कप	—	—	5.00
18.	पत्र / पत्रिकाएं	छपे हुये मूल्य पर			

नोट :-

1. फल/प्याज की दर जेल अधीक्षक/उपाधीक्षक द्वारा तय की जावेगी, जो किसी भी परिस्थिति में बाजार दर से अधिक नहीं होगी।
2. उत्पादों की दरें परिवर्तित होने पर दरें परिवर्तनशील होगी।
3. समस्त आइटम PET/प्लास्टिक/सोफ्ट/कागज की पैकिंग में होंगे।
4. चाय बंदियों को वार्ड / बैरिक खुलने से लेकर बंद होते तक की अवधि में ही उपलब्ध होगी।
5. उत्पाद नये हों एवं किसी भी सूरत में एक्स्पाईरी अवधि के नजदीक के नहीं हों।